भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †4071

सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के पुनरुद्धार हेतु राहत पैकेज

†4071. श्रीमती प्रतिभा सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण भारत में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में विदेशी और घरेलू पर्यटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो देश में और हिमाचल प्रदेश राज्य में विदेशी और घरेलू पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश और हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद विदेशी और घरेलू पर्यटकों को वापस लाने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में संकट ग्रस्त/आतिथ्य क्षेत्र हेतु घोषित और संवितरित राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हाँ, महोदय। पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश सहित भारत में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। हालाँकि, देश में कोविड -19 की स्थिति में सुधार के चलते घरेलू पर्यटन ने पहले ही देश के कई हिस्सों में सुधार के संकेत दे दिए हैं।

(ख) से (घ): भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राजकोषीय तथा गैर राजकोषीय राहत उपाय जिनसे हिमाचल प्रदेश सहित भारत में पर्यटन उद्योग को सहायता मिलने की आशा की जाती है, का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के पुनरुद्धार हेतु राहत पैकेज के सम्बन्ध में दिनांक 28.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +4071 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे भारतीय पर्यटन उद्योग को लाभ होने की आशा की जाती है:-

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
iv. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है।
viii. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
ix. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का

दायरा बढ़ाया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2022 तक या 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30.06.2022 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण निम्नाजनुसार है:-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 31.01.2022 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	**इसके तहत सहायता**	**जारी की गई गारंटी की संख्या**	**योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)**
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	3,092	1,696.42
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,853	6,841.91
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	220	3,426.40
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,550	3,569.68
कुल		**1,03,715**	**15,534.41**

x. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्स्पोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है । इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

xi. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

xii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।

xiii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

xiv. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

xv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xvi. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक या 5, 00, 000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

xvii. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे। टीटीएस प्रत्येक 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फौजदारी/पूर्व भुगतान शुल्क की छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।

****